Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में कृषि उपज मंडी समिति के दो कनिष्ठ सहायक 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**

जयपुर, *06 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये मोहन लाल कनिष्ठ सहायक व संतलाल कनिष्ठ सहायक कृषि उपज मंडी समिति, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि उपज मंडी में पक्की आढ़त का लाईसेंस जारी करने की एवज में मोहन लाल कनिष्ठ सहायक व संतलाल कनिष्ठ सहायक कृषि उपज मंडी समिति, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेद प्रकाश लखोटिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री विजेन्द्र कुमार सीला** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहन लाल कनिष्ठ सहायक व संतलाल कनिष्ठ सहायक कृषि उपज मंडी समिति, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाशचन्द विश्नोई के निर्देशन में आरापियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।